

सेवामें,

PLUKY

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उपखण्ड नावा जिला डी.डी.नावा-क्यामग

विषय:- राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का लिचाणा

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध हैंजिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि को अन्डरलाईन करें)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का <u>लिचाणा</u> राजस्व ग्राम <u>लिचाणा</u> खाता संख्या 90 खसरा संख्या 1124/766, 1125/764 रकबा हेक्टेयर में 0.67 हे.	<u>पुनीलाल पुत्र धीसा</u> <u>जाति मैधवाल</u> <u>निवासी लिचाणा</u>	<u>पुनाराम पुत्र धीसाराम</u> <u>जाति मैधवाल</u> <u>निवासी-लिचाणा</u>

संलग्न दस्तावेज(संलग्न दस्तावेज पर टिक का निषान लगाए)-

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में RTI द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र 2.12.24

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर 2.12.24

हल्का पटवारी व भू.अ.नि.की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुषंषा(सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

महोदय
भू.अ.निरीक्षक लिचाणा
हस्ताक्षर पटवारी

तहसीलदार की टिप्पणी:-

23.12.2024

हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावा जिला डी.डी.नावा-क्यामग
क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/ 310 दिनांक:- 23/12/24

आदेश

प्रार्थी पुनाराम निवासी लिचाणा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्टसंलग्न दस्तावेजों केआधार पर राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी

नावा
उपखण्ड अधिकारी